राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

18/6/18

[illegible] राजस्व लोक अदालत के माध्यम से [illegible] 2018 को [illegible] के [illegible] [illegible] [illegible]

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
रकबा 0.49 है. किता 2 रकबा 1.25 हैक्टेयर प्रार्थी काश्तकार की रेकर्ड है अतः प्रार्थीगण प्रकरण दायर करते समय प्रार्थी के काश्तकारी रेकर्ड दिखाकर बेदखली नहीं की गई थी। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को बेदखल किया है। अप्रार्थीगण के पक्ष में डिक्री हुई है। अतः प्रार्थीगण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत 912 RTA के अन्तर्गत एकतरफा डिक्री दिनांक दिनांक को पारित की जाकर निवेदन करते हुए कहा है कि वादग्रस्त भूमि पर अपील काल में स्थगित आदेश के लिए क्र.सं. 595 रकबा 0.76 है. 596 रकबा 0.49 है. कुल किता 2 रकबा 1.25 है प्रार्थी के पारिवारिक उपयोग व पशुओं के चारे के लिए प्रार्थी की बाधा उत्पन्न नहीं करे न करावे प्रार्थी के चारे की पूर्ति अभी के लगान व रायल्टी और पशुओं के इकाई मुकर्रर कर लघुवाई का कार्य न करे न करावे प्रार्थी की पूर्ति अभी की उपयोगिता के लिए प्रकरण को लम्बित रखा जाना उपयोगी नहीं लगता। केवल कुमार सेवर नकल के कर्मचारी इजहार कोलायत।

अपील अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
लूणकरणसर (बीकानेर)

Scanned by CamScanner